REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072022-237420 CG-DL-E-21072022-237420

असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944 No. 519] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 592(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003(2003 का 34) की धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 8, धारा 9 की उप-धारा (2), धारा 10 और धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये नियम 01 दिसंबर, 2022 को प्रवृत्त होंगे।

2. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 की अनुसूची में –

(i) पैरा-1, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्-

"(i) **लिखित स्वास्थ्य चेतावनी.-** धुएं और धुआं रहित तम्बाकू उत्पादों के लिए **'तम्बाकू यानि दर्दनाक मौत'** शब्द चित्र-1 में और **'तम्बाकू सेवन यानि अकाल मृत्यु'** शब्द चित्र-2 में लाल पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के फोंट में प्रकाशित किए जाएंगे। 4816 GI/2022 (1)

'आज ही छोड़ें, कॉल करें 1800-11-2356' शब्द काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के फोंट में प्रकाशित किए जाएंगे। लिखित स्वास्थ्य चेतावनी की पृष्ठभूमि में रंग की सघनता निम्नानुसार होगी:- सफेद: सी: 0%,एम: 0%, वाई: 0%,के: 0%, लाल: सी : 0%, एम : 100%, वाई 100%, के: 0%, और काला: सी: 0%, एम: 0%, वाई: 0%, के: 100% लिखित स्वास्थ्य चेतावनी चार रंगों के साथ और न्यूनतम 300 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) के प्रिंटिंग के रसोल्यूशन के साथ मुद्रित की जाएगी। स्वास्थ्य चेतावनी के फोंट प्रकार एवं रंग वेबसाइट <u>www.mohfw.gov.in</u> या ntcp.nhp.gov.in पर अपलोड की गई फोंट की प्रकृति एवं रंग के समान होंगे।"

(ii) पैरा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"2 विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी होंगी-

(क) चित्र-1, इसके जारी होने की तारीख से बारह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(ख) चित्र-2, चित्र -1 की विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के जारी होने की तारीख से बारह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत होगा।

चित्र-2

टिप्पण:- विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का सॉफ्ट या मुद्रणयोग्य संस्करण वेबसाइटों <u>www.mohfw.gov.in</u> तथा ntcp.nhp.gov.in पर उपलब्ध होगा।

[फा. सं. पी-16012/03/2020-टीसी]

रोली सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 15 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 458(अ), तारीख 21 जुलाई, 2020 द्वारा उनका अंतिम बार संशोधित किये गए थे।





चित्र-1

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2022

G.S.R. 592(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7, section 8, sub-section (2) of section 9, section 10 and section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, namely: -

- **1.** (1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the 1^{st} day of December, 2022.
- 2. In the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, the Schedule;-

(i) in paragraph 1, for clause (i) the following clause shall be substituted, namely: -

"(i) Textual Health Warning. - For smoking and smokeless forms of tobacco products, the words 'TOBACCO CAUSES PAINFUL DEATH' in Image-1 and the words 'TOBACCO USERS DIE YOUNGER' in Image-2 shall appear in white font colour on a red background. The words 'QUIT TODAY CALL 1800-11-2356' shall appear in white font colour on a black background. The intensity of color in the background of the textual health warning shall be: White: C:0%, M:0%, Y:0% K:0%, Red: C:0%, M:100%, Y:100% K: 0% and Black: C:0%, M:0%, Y:0% K: 100%. The textual health warnings shall be printed with four colors with printing resolution of minimum 300 DPI (Dots per inch). The font type and colour of the health warning shall be exactly as uploaded on the website www.mohfw.gov.in OR ntcp.nhp.gov.in"

- (ii) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely: -
 - "2. The specified health warnings shall be-
- (a) Image-1, shall be valid for a period of twelve months following its commencement.

Image-1



(b) Image-2, shall come into effect following the end of twelve months from the date of commencement of specified health warning of Image-1.

Image- 2



Note. - The soft or printable version of the specified health warnings are available on the websites www.mohfw.nic.in and ntcp.nhp.gov.in

[F. No. P.16012/03/2020-TC]

ROLI SINGH, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 182 (E), dated the 15th March, 2008 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 458(E), dated the 21st July, 2020.